eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

परिवार न्यायालय की भूमिकाः घरेलू हिंसा के संदर्भ में

[1]डॉ अजयशंकर यादव
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, वी0म0ल0 राजकीय महिला महाविद्यालय झांसी उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज की प्रकृति पुरुषसत्तात्मक रही है, इसीकारण भारतीय परिवारों की प्रकृति भी पुरुष प्रधान है। इसी वजह से परिवार में महिलाएं हमेशा पुरुषों के संरक्षण में रहती आईं हैं– कभी पिता के, कभी भाई के, कभी पति के तो कभी बेटे के। परिवार में हर निर्णय केवल पुरुषों के द्वारा या कभी–कभी महिलाओं की सहमति से लिए जाते रहे हैं और कुछ परिस्थितियों में तो महिलाओं की मौन स्वीकृति ही मान ली जाती है। इसीलिए महिलाएं परिवार में कब उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का शिकार होने लगीं स्वयं उन्हें भी पता नहीं चला। जिसका मुख्य कारण धार्मिक रीतिरिवाज और कुछ मान्यताएं रही हैं, जैसे–"पति परमेश्वर होता है", वो जो करे वही सही है तथा "बेटियाँ पराया धन होती हैं या शादी के बाद पति का घर ही उनका घर होता है"। इसी वजह से स्त्रियों में आत्मविश्वाश की निरंतर कमी आती गई और वे स्वयं को हीन समझने लगीं। वे स्वयं पर हो रहे अत्याचारों को सहन तथा उसे अपनी किस्मत समझ कर सहन करने लगीं। स्त्रियों का आर्थिक रूप से सक्षम न होना भी हिंसा का प्रतिरोध करने के स्थान पर सहन करने का एक और कारण रहा है।

शब्द संक्षेप– भारतीय समाज, परिवार न्यायालय की भूमिका, घरेलू हिंसा, एवं स्त्री।

Introduction

परिवार के भीतर शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौनिक, वित्तीय अथवा किसी भी अन्य प्रकार की हिंसा का निपटारे के लिए प्राचीन समय से ही घर–परिवार, समाज और पारंपरिक पंचायत सभा जैसी न्याय व्यवस्था को अपनाया जाता रहा है। चूकि न्याय करने वाले स्वयं उसी समाज का हिस्सा होते हैं और कोई लिखित वैधानिक प्रक्रिया के अभाव में सभी के लिए एक जैसा और उचित निर्णय लेना मुमकिन नहीं हो पाया और महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध उचित न्याय नहीं मिल पाया। प्राचीन समय से लेकर ब्रिटिश काल तक न्याय व्यवस्था हिन्दू और मुस्लिम नियम से संचालित होती रही है। आजादी के बाद पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में विवाह तथा परिवार संबंधी मामलों के शीघ्र तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हालांकि घरेलू हिंसा के दायरे में घर के बुजुर्गों तथा बालकों को भी शामिल किया गया है क्योंकि घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल उस महिला पर ही नहीं होता है बल्कि उस घर में मौजूद अन्य सदस्यों पर भी होता है जैसे बच्चे, बुजुर्ग। यहाँ तक की पड़ोस में रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित होते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

शोध–पत्र का उद्देश्य– समाज में बढ़ते घरेलू हिंसा के मामले मानवाधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के आधारभूत अधिकार के विरुद्ध भी एक गंभीर चुनौति हैं। ऐसे में न्यायालय की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस शोध पत्र के माध्यम से घरेलू हिंसा के मामलों मे पारिवारिक न्यायालयों की भूमिका पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है।

"केवल एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता" यह वाक्य थप्पड़ फिल्म का डायलॉग ही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों की बदसूरत हकीकत है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाज़ों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है।

घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।

इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं।

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या ज़बरन यौन शोषण का शिकार हैं।

परिवार न्यायालय– परिवार न्यायालय को फैमिली कोर्ट तथा कुटुंब न्यायालय के नाम से भी जाना जाता हैद्य पारिवारिक मामलों में पति–पत्नी का झगड़ा, सास–बहू का विवाद आदि शामिल होते हैंद्य इस प्रकार के पारिवारिक और विवाह से सम्बंधित मामलों में कोर्ट द्वारा मध्यस्थता कर विवाद को बातचीत के माध्यम से समाप्त करनें के उदेश्य से वर्ष 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। परिवार न्यायालय को गठित करनें का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता, आपसी बातचीत और क्षतिपूर्ति आदि के माध्यम से दोनों पक्षों में सुलह–समझौता कराना है द्य इसके बावजूद भी यदि विवाद नहीं निपटता है, तो परिवार न्यायालय के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जा सकता है द्य परिवार न्यायालय दोनों पक्षों की संतुष्टि पर कार्य करता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। 2005 से पहले घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास आपराधिक मामला दर्ज़ करने का अधिकार थाद्य ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498। के अंतर्गत कार्यवाही होती थीद्य 2005 में 'घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम' पारित हुआ जिसमें कई नए तरीके के अधिकार महिलाओं को दिए गए।

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984– पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 को पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिये अधिनियमित किया गया था ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह तथा पारिवारिक मामलों एवं संबंधित विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से एक या अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है।

समाज कल्याण एजेंसियों का संघ– राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था कर सकती हैः

1. समाज कल्याण में लगे संस्थान या संगठन।
2. परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में पेशेवर रूप से लगे व्यक्ति।
3. समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति।
4. कोई अन्य व्यक्ति जिसका परिवार न्यायालय के साथ जुड़ाव इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम होगा।

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022– यह 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश राज्य में और 12 सितंबर, 2008 से नगालैंड राज्य में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिये प्रावधान करना चाहता है। विधेयक के अनुसार, परिवार न्यायालय के जज की नियुक्ति के सभी आदेश और अधिनियम के तहत ऐसे जज की पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफर भी दोनों राज्यों में मान्य होंगे।

परिवार न्यायालय की भूमिका– आज के आधुनिक दौर में पारिवारिक विवादों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, हालाँकि भारत में विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है, परन्तु कई बार विभिन्न कारणों से इस पवित्र रिश्ते में दरार आ जाती है। कई बार तो यह आपसी विवाद एक ऐसी स्थिति तक पहुँच जाता है, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में लोग न्यायालय का रुख करते है। भारत में लोगो को त्वरित न्याय देने के लिए विभिन्न प्रकार की अदालतों का गठन किया गया है, ताकि न्यायालय पर मुकदमों का भार कम होने के साथ ही लोगो को नयी शीघ्रता से मिल सके। पारिवारिक विवादों को देखते हुए फैमिली कोर्ट का गठन किया गया है।

इन न्यायलयों की स्थापना का उद्देश्य न्यायिक अलगाव, तलाक, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, विवाह की वैधता, परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति संघर्ष, संतानों की वैधता, संरक्षकता और भरण–पोषण जैसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करना है। चूंकि इस प्रकार के न्यायालयों में उच्च

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

न्यायालय तथा राज्य सरकार की देखरेख में विशेष न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया गया होता है जो इन मामलों में विशेष दक्षता रखते हैं अतः मामलों के त्वरित तथा निष्पक्ष निपटारे की आशा रहती है। किन्हीं मामलों में पति–पत्नी के मध्य मामूली विवाद को बातचीत के माध्यम से तो गंभीर मामलों में पीड़ित को चिकित्सा तथा काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की जाती हैं। परिवारिक न्यायलयों का मुख्य प्रयास मध्यस्थता करवाना रहता है। लेकिन बातचीत या काउंसलिंग से मामले का हल नहीं निकलने की दशा में अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है।

परिवार न्यायालय घरेलू हिंसा और परिवार के मामलों को सुनने, मुख्यतः महिलाओं और बालिकाओं के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी भूमिका घरेलू हिंसा के मामलों के आरोपियों के खिलाफ केस दायर किया जाना है, सीधे या अपरिचित माध्यमों के माध्यम से उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है। यह संगठन महिला और बच्चों के हकों की प्रतिष्ठा और संरक्षण को बढ़ावा देता है और उन्हें सजा करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को अग्रसर रखता है। परिवार न्यायालयों में स्वतंत्र और विशेष परिवार न्यायालय एवं विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जो घरेलू हिंसा मामलों की सुनवाई में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हैं। इसके अतिरिक्त, इन न्यायिक अदालतों का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा मामलों को तुरंत और निष्पक्षता से सुनवाई करना है और एक आपातकालीन तात्कालिक व्यावधान प्रणाली के माध्यम से सेवाओं को प्रदान करना है।

परिवार न्यायालय घरेलू हिंसा के शिकायतों को गंभीरता से देखने के साथ–साथ, इसका प्रयास भी करता है कि घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सामरिक सहायता, संचार के जरिए जागरूकता प्रदान की जाए। इसके लिए यह संगठन सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करता है और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है।

घरेलू हिंसा और परिवार न्यायालय– देशभर में इस समय 732 परिवार न्यायालय कार्यरत हैं, जोकि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किए जा रहे हैं। इन न्यायलयों में किसी भी प्रकार के परिवारिक विवाद का निपटारा पूर्णतः न्यायपालिका पर निर्भर होता है। देश में परिवारिक विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। बीते साल में 21 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि परिवार न्यायालयों के पास 2020 में कुल 4,73,549 मामले सामने आए थे, जबकि इस वर्ष अक्तूबर 2021 तक यह आंकड़ा 4,94,817 तक पहुंच गया है। देश के विभिन्न राज्यों में अक्तूबर 2021 तक 11,79,671 लंबित हुए हैं, जहां इन मामलों में अभी तक गुहार लगाने वालों को न्याय का इंतजार है। लंबित मामलों में सबसे अधिक मामले केरल राज्य में है, जहां पर 1,13,706 मामले हैं। जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब में 82,135 और तीसरे नंबर पर 48,909 मामले राजस्थान में है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे 4,06,686 और दिल्ली में 48,904 ऐसे मामले हैं। अक्तूबर 2021 तक सामने आए मामलों में सबसे अधिक मामले उत्तराखंड राज्य से सामने आए थे। यहां अदालतों में 1,17,233 मामले सुनवाई के लिए पहुंचे जबकि केरल में दूसरे नंबर पर 36877 मामले और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 25071 मामले दर्ज किए गए हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

रिपोर्ट के बताती है कि बीते दो सालों के आंकड़े में ये मामले अधिक जरूर हैं लेकिन 2019 में अदालतों के पास ऐसे 8,34,138 मामले दर्ज किए गए थे। 2019 में अदालतों में 5,52,384 मामलों का निपटारा हुआ था। परिवार न्यायालयों में 2020 में 2,75,691 और 2021 अक्तूबर तक 3,98,595 मामलों का निपटारा किया गया था। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने परिवार न्यायालय से सामने आई रिपोर्ट में देश के ये हालात सामने आए हैं। बीते दो सालों से देश में कोरोना का संकट रहा है और लगभग सभी गतिविधियां बंद रही है और घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई। जो की चिंता का विषय है।

निष्कर्ष– यदि हम सही मायनों में "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत" बनाना चाहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये। परिवार न्यायालयों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए न्यायालय के अंदर और बाहर सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका हो सकती है क्योंकि कोई भी नियम कानून तब तक एक कोरी कल्पना है जब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करता। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी, अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरुआत करें।

संदर्भ–

1. मधुलिका गोयल, घरेलू हिंसाः अनसुलझी निम्मी की कहानी
2. रिंकी भट्टाचार्य, बंद दरवाजे के पीछेः भारत में घरेलू हिंसा
3. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
4. घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 हैन्ड्बुक
5- https://hindi.theindianwire.com/घरेलू-हिंसा-निबंध-A7-175427/
6- https://nocriminals.org/family-court-rules-in-hindi/
7- https://www.bing.com/search?q=फॅमिली+कोर्ट+इन+इंडिया+&form=ANNTH1&refig=128dd9afe36f4c45b177321b40e62d2b&ntref=1
8- https://www.mpgkpdf.com/2021/03/family-court-gk-in-hindi.html
9- https://hindi.livelaw.in/know-the-law/what-is-family-court-know-the-process-related-to-this-190179
10- https://nocriminals.org/family-court-rules-in-hindi
11- https://www.jansatta.com/national/family-disputes-are-increasing-in-the-country-11-lakh-79-thousand-cases-are-pending/1964790/
12- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/family-courts-amendment-bill,-2022
13- https://hindi.livelaw.in/category/columns/important-things-about-the-history-of-the-judicial-system-in-india-163817